# परिचायक टिप्पणी

इस दस्तावेज के दो भाग हैं - अर्थात् भाग क-राजस्व प्राप्तियां और भाग ख-पूंजी प्राप्तियां। भाग क में राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों का विवरण दिया गया है, जिन्हें दो वर्गों अर्थात् (क) कर-राजस्व तथा (ख) कर-भिन्न राजस्व के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। भाग ख का सम्बन्ध पूंजी प्राप्तियों से है जिनमें बाजार ऋण, विदेशी ऋण, लघु बचतें, सरकारी भविष्य निधियां, विभिन्न जमा खातों में संवृद्धियां तथा रेलवे आदि जैसे विभागों की मूल्यह्रास और प्रारक्षित निधियां सम्मिलित हैं।

***अनुबन्धः***

**अनुबन्ध 1** में केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से का राज्य-वार वितरण दिया गया है। विदेशी स्रोतों से प्राप्त ऋणों और अनुदानों तथा विदेशी ऋणों की वापसी-अदायगी का ब्यौरा **अनुबंध 2** में दिया गया है। **अनुबन्ध 3** में भारत सरकार के पिछले वर्षो के कर्ज की स्थिति का सार दिया गया है जिसके साथ सरकार के पूंजी निवेशों और ऋणों सहित उसकी देनदारियों, सरकार द्वारा दी गई गारंटियों और सरकार का परिसंपत्ति रजिस्टर प्रदर्शित करने वाले विवरण दिए गए हैं, **अनुबंध 4** में सरकार के चालू रूपया ऋणों का ब्यौरा दिया गया है। **अनुबन्ध 4क** में विशेष प्रतिभूतियों के परिवर्तन में भारतीय रिजर्व बैंक को जारी विपणन योग्य प्रतिभूतियों का ब्यौरा दिया गया है। **अनुबंध 4ख** में विशेष प्रतिभूतियों के परिवर्तन में राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विपणन योग्य प्रतिभूतियों का ब्यौरा है।

**अनुबन्ध 5** और **6** में क्रमशः प्राप्तियों और खर्च की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित किया गया है, जबकि कर और कर-भिन्न प्राप्तियों का विश्लेषण **अनुबन्ध 7** में किया गया है। व्यय का विश्लेषण व्यय बजट खण्ड-1 दस्तावेज में प्रस्तुत किया गया है। **अनुबन्ध 8** में "राष्ट्रीय लघु बचत निधि " से संबंधित प्राप्तियों और संवितरणों के अनुमान दर्शाए गए हैं। **अनुबन्ध 9** में वार्षिक वित्तीय विवरण और प्राप्ति बजट में प्रदर्शित प्राप्तियों के अनुमानों का मिलान दर्शाया गया है। **अनुबन्ध 10** और **11** में क्रमशः कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व की बकाया राशि दिखायी गयी है। **अनुबन्ध 12** में केन्द्रीय कर प्रणाली के अधीन वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान परित्यक्त राजस्व के विवरण को दिया गया है।